**संख्या-67/2022/534/12-5-2022-सा0-01/2019**

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

**कृषि अनुभाग-5** **लखनऊः: दिनांकः: 01 सितम्बर, 2022**

विषयः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत किसानों के भूलेख का विवरण पी0एम0किसान पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयगत निर्गत शासनादेश संख्या-42/2022/14-भा०स०/12-5-2022-सा०-01/2019, दिनांक 30 जून, 2022 एवं पत्र संख्या-66/2022/485/12-5-2022-सा0-01/2019,दिनांक 14.08.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर कृषकों की भूमि के सत्यापन डाटा की अपलोडिंग एवं ई-केवाईसी विषयक कार्य 31 जुलाई, 2022 तक शत-प्रतिशत पूर्ण किये जाने विषयक निर्देश दिये गये थे। उक्त कार्य के समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने की महत्ता के दृष्टिगत वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित होने वाली मेरी साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में भी कृषि विभाग द्वारा सतत् रूप से जनपदों की अद्यतन प्रगति एवं अपेक्षित कार्यवाही से अवगत कराया जाता रहा है। कल की प्रगति समीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि सभी जनपदों में काफी कार्य होना शेष है, जो ठीक नहीं है। जनपदवार सत्यापित डाटा के अपलोड होने की स्थिति एवं ई-केवाईसी की प्रगति संबंधी अद्यतन स्थिति संलग्न है।

उपरोक्त कार्य प्रत्येक दशा में आगामी एक पक्ष में शतप्रतिशत सुनिश्चित किया जाना है। अतएव इसके लिए आपसे अपेक्षा है कि मिशन मोड अपनाते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:

**1.** जो डाटा भूलेख अंकन के विषयगत सत्यापित हो चुका है और पोर्टल पर अपलोड किया जाना(डाटा इन्ट्री) अवशेष है, के डाटा इन्ट्री हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर अभी तक **भूलेख अंकन कर सत्यापित कर लिए गए डाटा की पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपलोडिंग प्रत्येक दशा में दिनांक 05-09-2022 तक अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये।**

**2. डाटा मिसमैच की स्थिति एवं अपेक्षित कार्यवाही:** योजना के प्रगति की समीक्षा में यह पाया गया कि अभी तक जनपदों में लगभग 52 प्रतिशत कृषको का

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भूलेख अंकन नहीं हो सका है। अत: उक्त विषयगत समयबद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाये:

**(i)** उपरोक्त पोर्टल से सत्यापन हेतु डाउनलोड किये गये डाटा में कुछ प्रतिशत डाटा जंक डाटा के रूप में पूर्व से अंकित रहा है और उक्त जंक डाटा को चिन्हित करते हुए पृथक किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। अतएव कृपया अपने जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों (राजस्व/कृषि) के साथ तत्काल इस विषयगत समीक्षा कर **यह सुनिश्चित कर लें कि जनपद में डाउनलोड किये गये कुल कृषकों के डाटा में कितनी संख्या में जंक डाटा की प्रविष्टि है और जंक डाटा होने के कारण उक्त के फील्ड में सत्यापित होने की अग्रेत्तर कोई आवश्यकता नहीं है।**

(ii) यह भी पाया गया है कि कतिपय प्रकरणों में पूर्व में पोर्टल पर कृषकों का डाटा अपलोड किये जाने में राजस्व ग्राम का कोड लिपिकीय त्रुटिवश गलत अंकित होने के कारण कृषक डाटा बड़ी संख्या में (बल्क में) मिसमैच हुआ है। अत: बल्क में हुये मिसमैच डाटा को तहसील स्तर पर समीक्षा करते हुये समुचित परीक्षण कर सत्यापित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की की जाये।

(iii) कतिपय जनपदों में सत्यापन की आरंभिक कार्यवाही में एक बड़ी संख्या में कृषकों को ग्राम से अन्यत्र होना दर्शाया गया है, जबकि रैण्डम रूप से जब उक्त का दुबारा सत्यापन कराया गया तो यह पाया कि जिन कृषकों को बाहर दर्शाते हुये भूलेख डाटा सत्यापन विषयक सूचना अंकित नहीं की गयी है, उनमें से अधिकांश उसी राजस्व ग्राम में थे और कतिपय प्रकरणों में कुछ कृषक निकटवर्ती ग्रामों में अंकित थे। ऐसे डाटा को भी भलीभाँति परीक्षण कर सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जिससे न केवल उपरोक्त त्रुटियां शुद्ध हो जायें, बल्कि कृषकों के भूलेख सत्यापन विषयक कार्य भी समुचित रूप से सुनिश्चित हो।

**(iv)** ऐसे कृषक जिनकी ई-के0वाई0सी0 हो चुकी है, परन्तु उनके विषयगत ग्राम के बाहर होने विषयक स्थिति के कारण भूलेख सत्यापन न होना दर्शाया जा रहा है, ऐसे कृषकों के विषयगत ई-के0वाइ0सी0 होने के दृष्टिगत उनके मोबाइल नंबर पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जिसे प्राप्त करते हुये कृषकों से संपर्क कर सत्यापन की कार्यवाही भलीभाँति सुनिश्चित की जा सकती है। अतएव उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार भी सत्यापन की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाये।

(v) ऐसे कृषक जो कि **ई-के0वाई0सी0 न होने के कारण संपर्क नहीं किये जा पा रहे है उनके विषय में संबंधित बैंक शाखाओं में उपलब्ध सूचना के माध्यम से उक्त कृषकों के मोबाइल नम्बर/पते प्राप्त कर उनसे सम्पर्क करते हुए सरलतापूर्वक उनका भूलेख सत्यापन शीघ्र सुनिश्चित किया जा सकता है।** अत: इस हेतु प्रभावी कार्ययोजना निरूपित करते हुए संबंधित बैंक शाखाओं से को-आर्डिनेशन स्थानीय स्तर पर यथाशीघ्र कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। अग्रेत्तर ई-केवाईसी के बढ़ाये जाने हेतु कृषकों के मध्य ई-केवाईसी सुनिश्चित किये

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जाने की प्रक्रिया को गांव सभा की बैठक इत्यादि स्थानीय संवेदीकरण के माध्यम का प्रयोग करते हुए प्रभावी रूप से उक्त विषयगत कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।

3. **वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा टेस्ट चेक सत्यापन हेतु टीम का गठन एवं समयबद्ध कार्यवाही:** जनपदों में उपरोक्त विषयगत डाटा मिसमैच के कारणों एवं उक्त् को दूर किये जाने हेतु प्रभावी रणनीति लागू किये जाने हेतु जनपद के प्रत्येक तहसील में तीन ऐसे गांव का चिन्हांकन किया जायेगा, जहां पर न्यूनतम भूलेख सत्यापन हो सका है। अर्थात ऐसे तीन गांव जहां सर्वाधिक डाटा मिसमैच है। तहसील के उक्त् तीन गांव हेतु स्वयं एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अथवा अपर तहसीलदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से उक्त गांव का स्थलीय भ्रमण सुनिश्चित करते हुए इस विषयगत शतप्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अनुपलब्ध कृषकों (डाटा मिसमैच) के स्थानीय रूप से वास्तविक कारण क्या है और उनको शीघ्रता से किस प्रकार दूर किया जा सकता है। उक्त सत्यापन की कार्यवाही आगामी 03 दिनों में पूर्ण की जायेगी और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ कृषि विभाग के अधिकारियों को भी उक्त् स्थलीय सत्यापन में नामित किया जायेगा। इस हेतु उप कृषि निदेशक तहसीलवार तीन-तीन अधिकारियों की सूची तत्काल उपलब्ध करा देंगे।

4. **विभागीय सामंजस्य:** उपरोक्त सत्यापन की प्रक्रिया में भूलेख अंकन का कार्य यद्यपि मूल रूप से राजस्व विभाग द्वारा कार्य किया जाना है तथापि मिसमैच डाटा विषयक कृषकों को सत्यापित किये जाने हेतु अन्तर्विभागीय रूप से कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग/बैंक आदि घटकों के साथ पारस्परिक सामंजस्य प्रभावी रूप से किया जाना अतिआवश्यक है। अतएव प्रत्येक तहसील स्तर पर संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा ब्लाकवार इस विषय में एक व्हाट्सएप्प ग्रुप बना दिया जाये, जिसमें उक्त ब्लाक के राजस्व कर्मी/कृषि विभाग के कार्मिक/विकास विभाग के कार्मिक एवं उक्त विकास खंड से संबंधित अधिकारीगण यथा खण्ड विकास अधिकारी/नायब तहसीलदार/ए0डी0ओ0 कृषि आदि को सदस्य के रूप में जोड़ लिया जाये और सतत् रूप से उपरोक्त व्हाट्सएप्प ग्रुप के माध्यम से सत्यापन विषयक सूचना के आदान-प्रदान तथा डाटा मिसमैच की स्थिति पर सामंजस्य भलीभांति सुनिश्चित करते हुये सत्यापन की कार्यवाही समयबद्ध रूप से कर लिया जाये। ऐसे ग्रुप में किसी प्रकार की कठिनाई व्यक्त करने पर खण्ड विकास अधिकारी/नायब तहसीलदार/सहायक विकास अधिकारी (कृषि) द्वारा तत्परता से समाधान किया जाये।

तहसील स्तरीय व्हाट्सएप्प ग्रुप के अनुरूप ही एक जिला स्तरीय व्हाट्सएप्प ग्रुप जिलाधिकारी द्वारा बना दिया जाये, जिसमें समस्त तहसीलों के उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार/कृषि विभाग के जनपदीय अधिकारी एवं विकास विभाग के अधिकारीगण को सदस्य के रूप में जोड़ लिया जाये, जिससे जनपद स्तर पर सामंजस्य समयबद्ध रूप से सुनिश्चित हो और योजना की प्रगति का अनुश्रवण भलीभांति हो सके।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राज्य स्तर पर इस विषय में एक व्हाट्सएप्प ग्रुप सचिव, कृषि द्वारा बना दिया जाये, जिससे कि जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ सतत् रूप से संवाद एवं सूचना के आदान-प्रदान को सुनिश्चित किया जाये।

**योजना विषयक दैनिक प्रगति की आख्या एक निर्धारित प्रारूप पर कृषि विभाग द्वारा मुख्य सचिव कार्यालय को प्रत्येक दिन उपलब्ध कराया जायेगा और जिन जनपदों में प्रगति असंतोषजनक है सूचना में उक्त जनपदों को विशेष रूप से रेखांकित किया जायेगा।**

**5. अधिकारियों को प्रोत्साहन:** उपरोक्त अभियान अन्तर्गत शत-प्रतिशत सत्यापन शीघ्र सुनिश्चित करने वाले बेहतर अधिकारियों को सम्मानित किये जाने के विषयगत कृषि विभाग द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। विशेषकर उन दस-दस अधिकारियों को सम्मानित किया जायेगा जो राज्य में सर्वप्रथम अपने तहसील स्तर/जनपद स्तर के कार्य को सुनिश्चित करेंगे।

**6.** कृपया वर्णित बिन्दुओं के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आशातीत प्रगति सुनिश्चित की जाये, जिससे कि योजना का लाभ समय से राज्य के कृषकों को प्राप्त हो सके और सत्यापन के अभाव में कोई पात्र कृषक लाभ से वंचित न हो जाए अन्यथा बाध्य होकर अपेक्षित कार्य पूरा न करने पर संबन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

**7.** आगामी मंगलवार की वीडियो कांफ्रेंसिंग में जनपदों की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

**<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

## पीएम किसान योजनान्तर्गत भूलेख अंकन एवं पोर्टल पर डाटा अपलोड की प्रगति

31/08/2022 10:01:20

| क्रम संख्या | जनपद का नाम | कुल लगाये गए कंप्यूटर ऑपरेटर की संख्या [3] | भूलेख अंकन हेतु डाउनलोड किए गए कुल कृषकों की संख्या | भारत सरकार से प्राप्त कुल वास्तविक कृषक संख्या | लेखपाल द्वारा ग्रामवार भूलेख अंकन की प्रगति | | | | तहसील द्वारा पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड की प्रगति | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | कुल सत्यापित कृषकों की संख्या | सत्यापित का प्रतिशत | लेखपाल द्वारा हार्ड कॉपी पर भूलेख अंकित कुल कृषकों की संख्या | भूलेख अंकन का प्रतिशत | कृषकों की संख्या | अपलोड का प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | अमरोहा | 20 | 246208 | 208318 | 246208 | 100.00 | 213020 | 86.52 | 213020 | 86.52 |
| 2 | गौतमबुद्ध नगर | 18 | 56785 | 56785 | 46972 | 82.72 | 37856 | 66.67 | 37856 | 66.67 |
| 3 | संतकबीर नगर | 31 | 290748 | 267068 | 251315 | 86.44 | 193452 | 66.54 | 182183 | 62.66 |
| 4 | बहराइच | 98 | 581439 | 532226 | 530229 | 91.19 | 419988 | 72.23 | 361579 | 62.19 |
| 5 | शामली | 30 | 126169 | 125124 | 90263 | 71.54 | 75738 | 60.03 | 75738 | 60.03 |
| 6 | मुरादाबाद | 37 | 313016 | 278450 | 235156 | 75.13 | 185210 | 59.17 | 182874 | 58.42 |
| 7 | मऊ | 25 | 288315 | 277549 | 257786 | 89.41 | 242467 | 84.10 | 164353 | 57.00 |
| 8 | बाराबंकी | 36 | 570308 | 508635 | 482181 | 84.55 | 342181 | 60.00 | 324407 | 56.88 |
| 9 | मिर्जापुर | 40 | 372606 | 349727 | 352783 | 94.68 | 295093 | 79.20 | 207060 | 55.57 |
| 10 | सहारनपुर | 63 | 344392 | 303205 | 235125 | 68.27 | 194028 | 56.34 | 182835 | 53.09 |
| 11 | हमीरपुर | 28 | 194394 | 177893 | 170184 | 87.55 | 102879 | 52.92 | 102879 | 52.92 |
| 12 | रामपुर | 37 | 306167 | 270391 | 298299 | 97.43 | 159911 | 52.23 | 159911 | 52.23 |
| 13 | हापुड़ | 21 | 132709 | 119102 | 112181 | 84.53 | 71940 | 54.21 | 69168 | 52.12 |
| 14 | कुशीनगर | 80 | 640983 | 600944 | 561268 | 87.56 | 333957 | 52.10 | 331119 | 51.66 |
| 15 | संभल | 26 | 330685 | 303659 | 316948 | 95.85 | 168380 | 50.92 | 168380 | 50.92 |
| 16 | अलीगढ़ | 36 | 407142 | 372118 | 365329 | 89.73 | 238213 | 58.51 | 207155 | 50.88 |
| 17 | अम्बेडकर नगर | 31 | 418853 | 397207 | 380190 | 90.77 | 212426 | 50.72 | 212426 | 50.72 |
| 18 | फर्रुखाबाद | 27 | 245603 | 217229 | 173422 | 70.61 | 124289 | 50.61 | 124289 | 50.61 |
| 19 | भदोही | 48 | 232860 | 218337 | 185855 | 79.81 | 185855 | 79.81 | 116044 | 49.83 |
| 20 | चंदौली | 61 | 259060 | 229671 | 190174 | 73.41 | 127797 | 49.33 | 127797 | 49.33 |
| 21 | सोनभद्र | 89 | 217698 | 204194 | 188176 | 86.44 | 188176 | 86.44 | 106869 | 49.09 |
| 22 | बिजनौर | 35 | 450904 | 372730 | 399481 | 88.60 | 218540 | 48.47 | 218540 | 48.47 |
| 23 | बांदा | 41 | 283337 | 262087 | 204662 | 72.23 | 136952 | 48.34 | 136952 | 48.34 |
| 24 | झांसी | 39 | 284801 | 249946 | 274834 | 96.50 | 174708 | 61.34 | 137523 | 48.29 |
| 25 | सुल्तानपुर | 86 | 509711 | 454004 | 417253 | 81.86 | 245819 | 48.23 | 245819 | 48.23 |
| 26 | उन्नाव | 32 | 543729 | 503367 | 351376 | 64.62 | 281385 | 51.75 | 260385 | 47.89 |
| 27 | महोबा | 23 | 160160 | 138158 | 80456 | 50.23 | 78362 | 48.93 | 76526 | 47.78 |
| 28 | चित्रकूट | 26 | 171064 | 152300 | 126262 | 73.81 | 81721 | 47.77 | 81721 | 47.77 |
| 29 | बदायूं | 89 | 551668 | 484987 | 503548 | 91.28 | 258832 | 46.92 | 258832 | 46.92 |
| 30 | रायबरेली | 62 | 517226 | 475455 | 433936 | 83.90 | 241745 | 46.74 | 241745 | 46.74 |
| 31 | अयोध्या | 100 | 414750 | 370407 | 377123 | 90.93 | 192056 | 46.31 | 192056 | 46.31 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

## पीएम किसान योजनान्तर्गत भूलेख अंकन एवं पोर्टल पर डाटा अपलोड की प्रगति

31/08/2022 10:01:20

| क्रम संख्या | जनपद का नाम | कुल लगाये गए कंप्यूटर ऑपरेटर की संख्या [3] | भूलेख अंकन हेतु डाउनलोड किए गए कुल कृषकों की संख्या | भारत सरकार से प्राप्त कुल वास्तविक कृषक संख्या | लेखपाल द्वारा ग्रामवार भूलेख अंकन की प्रगति | | | | तहसील द्वारा पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड की प्रगति | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | कुल सत्यापित कृषकों की संख्या | सत्यापित का प्रतिशत | लेखपाल द्वारा हार्ड कॉपी पर भूलेख अंकित कुल कृषकों की संख्या | भूलेख अंकन का प्रतिशत | कृषकों की संख्या | अपलोड का प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 32 | गाजियाबाद | 20 | 64581 | 57442 | 45161 | 69.93 | 29750 | 46.07 | 29750 | 46.07 |
| 33 | एटा | 29 | 330377 | 291097 | 283572 | 85.83 | 158472 | 47.97 | 151992 | 46.01 |
| 34 | अमेठी | 44 | 335802 | 293909 | 272023 | 81.01 | 153047 | 45.58 | 153047 | 45.58 |
| 35 | कौशांबी | 24 | 231468 | 213864 | 190639 | 82.36 | 125345 | 54.15 | 103955 | 44.91 |
| 36 | बरेली | 73 | 538433 | 505546 | 464873 | 86.34 | 240265 | 44.62 | 240265 | 44.62 |
| 37 | बलरामपुर | 26 | 308374 | 284704 | 284837 | 92.37 | 133820 | 43.40 | 133820 | 43.40 |
| 38 | प्रतापगढ़ | 55 | 620404 | 570007 | 401160 | 64.66 | 268857 | 43.34 | 268857 | 43.34 |
| 39 | गोंडा | 142 | 550552 | 505472 | 478740 | 86.96 | 408109 | 74.13 | 236029 | 42.87 |
| 40 | हाथरस | 37 | 222112 | 191270 | 201534 | 90.74 | 127944 | 57.60 | 94981 | 42.76 |
| 41 | वाराणसी | 32 | 289352 | 262965 | 181181 | 62.62 | 128809 | 44.52 | 122303 | 42.27 |
| 42 | जौनपुर | 30 | 811591 | 753016 | 564356 | 69.54 | 496956 | 61.23 | 340420 | 41.94 |
| 43 | देवरिया | 97 | 508843 | 473623 | 430366 | 84.58 | 221178 | 43.47 | 208225 | 40.92 |
| 44 | लखनऊ | 41 | 232989 | 217970 | 177335 | 76.11 | 106610 | 45.76 | 93622 | 40.18 |
| 45 | पीलीभीत | 42 | 330247 | 312652 | 330247 | 100.00 | 132613 | 40.16 | 132613 | 40.16 |
| 46 | ललितपुर | 36 | 265172 | 244075 | 233460 | 88.04 | 105475 | 39.78 | 105475 | 39.78 |
| 47 | कासगंज | 36 | 246155 | 212501 | 140966 | 57.27 | 98126 | 39.86 | 97670 | 39.68 |
| 48 | सीतापुर | 64 | 736382 | 669464 | 580977 | 78.90 | 287789 | 39.08 | 287789 | 39.08 |
| 49 | सिद्धार्थ नगर | 79 | 421890 | 381787 | 295695 | 70.09 | 227763 | 53.99 | 164871 | 39.08 |
| 50 | कन्नौज | 30 | 295405 | 269809 | 185869 | 62.92 | 116267 | 39.36 | 114871 | 38.89 |
| 51 | बागपत | 17 | 145989 | 116384 | 89076 | 61.02 | 89076 | 61.02 | 56011 | 38.37 |
| 52 | इटावा | 23 | 300516 | 249104 | 147309 | 49.02 | 114975 | 38.26 | 114975 | 38.26 |
| 53 | औरैया | 26 | 247775 | 233908 | 158345 | 63.91 | 122511 | 49.44 | 91338 | 36.86 |
| 54 | कानपुर देहात | 32 | 363723 | 319259 | 273394 | 75.17 | 133773 | 36.78 | 133773 | 36.78 |
| 55 | हरदोई | 92 | 794664 | 718968 | 652179 | 82.07 | 289274 | 36.40 | 289274 | 36.40 |
| 56 | मुजफ्फरनगर | 58 | 279122 | 240117 | 205877 | 73.76 | 100107 | 35.86 | 100107 | 35.86 |
| 57 | महाराजगंज | 79 | 520231 | 481447 | 348352 | 66.96 | 226643 | 43.57 | 186393 | 35.83 |
| 58 | शाहजहांपुर | 75 | 506733 | 470491 | 427648 | 84.39 | 179778 | 35.48 | 179778 | 35.48 |
| 59 | खीरी | 86 | 676039 | 644111 | 473227 | 70.00 | 266425 | 39.41 | 238914 | 35.34 |
| 60 | गोरखपुर | 247 | 596863 | 521720 | 483309 | 80.97 | 310685 | 52.05 | 210661 | 35.29 |
| 61 | कानपुर नगर | 30 | 288914 | 259297 | 279815 | 96.85 | 103524 | 35.83 | 99650 | 34.49 |
| 62 | प्रयागराज | 220 | 696479 | 642806 | 522284 | 74.99 | 324940 | 46.65 | 239657 | 34.41 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**पीएम किसान योजनान्तर्गत भूलेख अंकन एवं पोर्टल पर डाटा अपलोड की प्रगति** 31/08/2022 10:01:20

| क्रम संख्या | जनपद का नाम | कुल लगाये गए कंप्यूटर ऑपरेटर की संख्या [3] | भूलेख अंकन हेतु डाउनलोड किए गए कुल कृषकों की संख्या | भारत सरकार से प्राप्त कुल वास्तविक कृषक संख्या | लेखपाल द्वारा ग्रामवार भूलेख अंकन की प्रगति | | | | तहसील द्वारा पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड की प्रगति | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | कुल सत्यापित कृषकों की संख्या | सत्यापित का प्रतिशत | लेखपाल द्वारा हार्ड कॉपी पर भूलेख अंकित कुल कृषकों की संख्या | भूलेख अंकन का प्रतिशत | कृषकों की संख्या | अपलोड का प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 63 | बस्ती | 121 | 515045 | 470397 | 439178 | 85.27 | 280439 | 54.45 | 176541 | 34.28 |
| 64 | मैनपुरी | 40 | 407388 | 365284 | 290282 | 71.25 | 145500 | 35.72 | 139512 | 34.25 |
| 65 | मथुरा | 50 | 301136 | 270878 | 260007 | 86.34 | 105195 | 34.93 | 102810 | 34.14 |
| 66 | फतेहपुर | 60 | 419776 | 370477 | 403475 | 96.12 | 143162 | 34.10 | 143162 | 34.10 |
| 67 | श्रावस्ती | 30 | 226880 | 191392 | 210705 | 92.87 | 82613 | 36.41 | 75632 | 33.34 |
| 68 | बुलंदशहर | 51 | 466336 | 388834 | 459151 | 98.46 | 395347 | 84.78 | 154047 | 33.03 |
| 69 | गाजीपुर | 84 | 565150 | 501600 | 389042 | 68.84 | 184560 | 32.66 | 184560 | 32.66 |
| 70 | फिरोजाबाद | 40 | 291417 | 261196 | 155615 | 53.40 | 94541 | 32.44 | 89914 | 30.85 |
| 71 | आजमगढ़ | 84 | 782558 | 747796 | 775431 | 99.09 | 311962 | 39.86 | 237785 | 30.39 |
| 72 | मेरठ | 40 | 285819 | 219837 | 122800 | 42.96 | 85956 | 30.07 | 85956 | 30.07 |
| 73 | जालौन | 57 | 256337 | 216672 | 176994 | 69.05 | 110014 | 42.92 | 76964 | 30.02 |
| 74 | बलिया | 45 | 454328 | 454328 | 347321 | 76.45 | 96485 | 21.24 | 93196 | 20.51 |
| 75 | आगरा | 60 | 386341 | 339138 | 235668 | 61.00 | 87788 | 22.72 | 61430 | 15.90 |
| योग | | 4099 | 28579178 | 25887887 | 22908450 | 80.16 | 13975444 | 48.90 | 12150636 | 42.52 |
| वास्तविक कृषक के सापेक्ष प्रतिशत | | | | | | 88.49 | | 53.98 | | 46.94 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।